

कार्यालय आदेश संख्या - 1254- /NG/2019/OPTG/SPJ

श्री सुबोध कुमार, पुत्र श्री विश्वनाथ राम, स्टेमा/कानारवॉ, लेवल-06 दक्षिण पूर्व रेलवे/रांची मंडल, का सुश्री स्वाति सुमन, पुत्री श्री ज्योति रंजन खत्री, स्टेमा/रक्सौल, लेवल-06, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल के साथ, रांची मंडल के पत्र सं०- प.पू.रे./स्था-रांची/223/आई.आर.एम.टी./सु.कु. & स्वा.सु./19 दिनांक 02.04.2019 एवं समस्तीपुर मंडल के पत्र सं०- का/1/283/अं.म.-अं.रे./स्टेमा/19 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा स्वयं के अनुरोध पर अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री सुबोध कुमार, स्टेमा, जो मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/रांची के पत्र संख्या:- SER/P-RNC/ET/223/IRMT/SK & SS/19 Dated 27.11.2019 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 29.11.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को स्टेधी/रक्सौल के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री सुबोध कुमार के इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 29.11.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर पारस्परिक स्थानान्तरण है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

सुश्री स्वाति सुमन, स्टेमा/रक्सौल, लेवल-06 को कार्यालय आदेश सं० का/1/283/अं.म.-अं.रे./स्टेमा/19 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा रांची मंडल के लिए विरमित किया जा चुका है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री सुबोध कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

सं०- का/1/283/अं.म.-अं.रे./स्टेमा/19

Subodh Kumar
3-12-19



3/12/19
(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि-।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
सहायक कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर
दिनांक 03.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/रांची, दक्षिण पूर्व रेलवे -कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. वमपचाप्र./समस्तीपुर
3. वमंविप्र./समस्तीपुर
4. स्टेधी/रक्सौल-कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
5. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/यातायात बिल-कार्यालय में।
7. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो/सम० मंडल।
8. संबंधित कर्मचारी
9. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर